

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गैराड (सुकरडी)
 तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र
 उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विलखेत गैराड मेरु परियोजना
 के निर्माण हेतु (----- हे० आरक्षित वन भूमि, से मेरु चौखट्टा मिहोम हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०,
 वन पंचायत भूमि ----- हे०) अर्थात् कुल हे० वन भूमि का
 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
 द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गैराड द्वारा दिनांक 2.1.2005
 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
 संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
 अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
 आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
 किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
 कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
 आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
 किया गया कि ग्राम गैराड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
विस्तृत गैराड मेरु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
 कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
 ग्राम सचिव

जीता देवी
 प्रधान
 ग्राम पंचायत गैराड
 वि.सं. बागेश्वर जनपद बागेश्वर
 ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
 तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
 एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 2.1.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गौराड (सुकरड़ी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	किसन सिंह	किसन सिंह
2)	दुरवान सिंह	कृष्ण सिंह
3)	कृष्ण सिंह	कृष्ण सिंह
4)	आनन्द सिंह	राम
5)	प्रकाश सिंह	प्रकाश
6)	जगदीश राम	कमलेश्वर
7)	कामला देवी	मोहन राम
8)	मोहन राम	शंकर प्रसाद
9)	राम प्रसाद	चमन
10)	आनन्द कुमार	गोकुल प्रसाद
11)	प्रकाश राम	गोकुल प्रसाद
12)	गोकुल प्रसाद	आनन्द राम
13)	गंगा राम	चनराम
14)	आनन्द राम	
15)	चनर राम	मोहन
16)	मनोज सिंह	मनोज सिंह
17)	कृष्ण सिंह	चमन
18)	प्रताप सिंह	
19)	गोकुल सिंह	
20)	राजन सिंह	

गीता देवी

प्रधान

वि.सं. बागेश्वर (नयापद-बागेश्वर)
ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड बोगेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत विलखेत गैराड मोरगाँव के भू-सूचना
(हो आरक्षित वन भूमि, हो सिविल एवं सोयम वन भूमिहो
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल हो वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बोगेश्वर) की दिनांक 05/11/15 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री किशोर कुमार चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशोर कुमार चौधरी उप जिलाधिकारी बोगेश्वर अध्यक्ष
- 2- श्री सुनील कुमार त्रिपाठी उप प्रभागीय वनाधिकारी बोगेश्वर सदस्य / सचिव
- श्री सुनील कुमार त्रिपाठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी बोगेश्वर सदस्य
- श्री नीमा चण्डा वी०डी०सी० क्षेत्र बोगेश्वर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

जिला योजना के अन्तर्गत विलखेत गैराड के भू-सूचना के
बोगेश्वर तहसील परियोजना हेतु.....हो वन
भूमि प्र० खु० लो० नि० बि० कपकोट बोगेश्वर

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बोगेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत
विश्ववृद्ध गैरवाइ मोटर का गैर-नैपट्टि परियोजना के निर्माण हेतु
है 0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बागेश्वर
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

बागेश्वर
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बागेश्वर
जनपद बागेश्वर
बागेश्वर
बागेश्वर

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भैरु चौपड़ा (धडीगाड़ा वनीडडिपार)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वरअनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विलखेत गैराडमोटर्मा से भैरु चौपड़ा जिले
के निर्माण हेतु (----- हे० आरक्षित वन भूमि, ----- हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०,
वन पंचायत भूमि ----- हे०) अर्थात् कुल ----- हे० वन भूमि का
----- विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैरु चौपड़ा द्वारा दिनांक 8-1-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम भैरु चौपड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
पर वि० ख०-बागेश्वर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिवग्राम प्रधान 8-1-15
ग्राम पंचायत भैरु चौपड़ा
वि० ख०-बागेश्वर जिला-बागेश्वर
ग्राम प्रधाननोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 8/1/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भैरु चौबट्टा (छरगाड/वनीउडियार)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	जोगा राम होनी (संरपच) इलाख	
2)	हरीश (छरगाड)	
3)	नवीन - वडा - धानी	
4)	सतीश - वडा - धानी	
5)	रमेश - वडा - धानी	
6)	रमेश राम (छरगाड)	
7)	पूरन - वडा - धानी	
8)	केलाश - वडा - धानी	
9)	राजेश उलाड	
10)	शेकर ग्याय	
11)	केवला - वडा - धानी	
12)	बसन्ती देवी	
13)	राजेश उलाड	
14)	सजय उलाड	
15)	सुन्दर उलाड	
16)	सजय देवी	
17)	कावला देवी	
18)	सजय देवी	
19)	यविता देवी	
20)	हरीश - वडा	

8-1-15
संरपच

ग्राम पंचायत सिमायल, पट्टी-दुग
पोस्ट-भैरुचौबट्टा
वि०ख० व जिला-बागेश्वर

ग्राम प्रधान 8-1-15
ग्राम पंचायत भैरुचौबट्टा
वि०ख०-बागेश्वर जिला-बागेश्वर
ह०/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बोगेश्वर

उपखण्ड बोगेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत विलखेत गैराड मोटर मार्ग से श्रेष्ठ चौपट्टा गिला
(—) हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल — हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बोगेश्वर) की दिनांक 5/2/15 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री फिन्ना (ह) चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री फिन्ना (ह) चौधरी उप जिलाधिकारी कोषा अध्यक्ष
- 2- श्री सतेन्द्र कुमार बिपाठी उप प्रभागीय वनाधिकारी अध्यक्ष सदस्य
- 3- श्री पद्मनाभ सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
- 4- श्री मनो-नीमा छपेल बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि जिला योजना के अन्तर्गत विलखेत गैराड मोटर मार्ग का श्रेष्ठ चौपट्टा गिला

है परियोजना हेतु हे० वन
भूमि लौ० नि० वि० कपकोट, बोगेश्वर

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बोगेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत विश्वेश्वर गेडाड मोटर का ओपन-चैप्टर प्लेन परियोजना के निर्माण हेतु
10 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बागेश्वर
उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

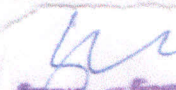
बागेश्वर
उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बागेश्वर
जनपद बागेश्वर
बागेश्वर
बागेश्वर

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 27.02.2014 at time 3:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Gairad & Bharu Chophatta** area measuring **2.970** hect for the Construction of **Construction of Bilkhet-Gairad-Bharu-Chophatta Motor road Exection to Dhalan Motor road (Length 5.00) in Distt- Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


जिला प्रविक्तारी
बागेश्वर:

Place: Bageshwar

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

Dated:

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

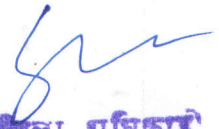
जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग (5.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.970 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग (5.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.970 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर

A 1.6.9

Form-1
(for liner project)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No.....

Dated.....

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.970** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bilkhet-Gairad-Bharu-Chophatta Motor road Exection to Dhalan Motor road (Length 5.00) in Bageshwar** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.970** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it:.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated

Signature


बिहल प्रसिधाली
बागेश्वर.

(Bhupal Singh Maunral)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No.....

Dated.....

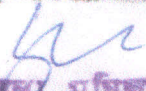
To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.100** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bilkhet-Gairad-Bharu-Chophatta Motor road Exection to Dhalan Motor road (Length 5.00) in Bageshwar.**

s further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.970** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concerred Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Gairad & Bharu Chophatta Village (s)** is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above


 भूपल मणिमाली
 ज्योतिषी

Bhupal Singh Manral
 District Collector
 Bageshwar